

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चितौड़गढ

धीमसीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (अवरपुएरसओ)

प्रकरण संख्या : 24 / 2023

दायर दिनांक : 14 / 06 / 2023

निर्णय दिनांक : 14 / 02 / 2024

उत्तरवान



1. गोपीलाल दत्तक पुत्र नवला गाडसी निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
2. हरलाल पुत्र उदा गाडसी निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर

प्रार्थनापत्र

बनाम

1. रामलाल पिता नारायण गाडसी निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
2. दौला पिता भाना गाडसी निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर

अप्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थनापत्र ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. बाबत पर्यारगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थनापत्र वाद प्रवना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थनापत्र के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थनापत्र रिकार्ड खतबतार है। अतः प्रार्थना पत्र व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थनापत्र का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट. बाबत पर्यारगढी का रवीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500 रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर की खता सं. 87 में आ.सं. 2039 / 370 रकबा 0.02 है. आ.सं. 335 रकबा 0.25 है. कितना 2 रकबा 0.27 है. भूमि में उमयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर दोसे दिशाओं की पुख्या पर्यारगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पर्यारगढी की जावे एवं कमिश्नर शूलक का रिकार्ड विधिवत रजिस्ट्रार किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विवादाधीन नहीं हो। इस आशय वाकत तहसीर जारी हो। पत्रावली फेसलत शुमार होकर नबर से कमा होकर दाखिल दफतर हो।

नीतिगत आदेश दिनांक 14.02.2024 को सुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)

सहायक कलेक्टर व

सहायक जज (नियंत्रण)

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर